कार्यालय आख्या

श्रीमान जी,

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एम.ए.सी. सं0 –454/2015 श्रीमती मीना आदि बनाम जमाल अहमद आदि से सम्बन्धित है। उक्त एम.ए.सी. याचिका इस अधिकरण द्वारा दिनांक 13.01.2020 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य सन्धि के आधार पर क्षतिपूर्ति धनराशि मु0 –6,22,000/- रू0 (छः लाख, बाईस हजार रूपये) के लिये निर्णित की गयी है।

अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु0 –6,22,000/- रू0 (छः लाख, बाईस हजार रूपये) अधिकरण के बचत खाते में जमा कर दी गयी थी, उक्त धनराशि में से निर्मित एफ.डी.आर.सं0 548364 दिनांकित 25.07.2022 मु0 – 50,000/-रूपये यूनियन बैंक में चन्द्रवती के पक्ष में तीन वर्ष के लिए निर्मित की गयी थी, जो दिनांक 25.07.2025 को परिपक्क हो चुकी है।

याची द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील योजित नही की गई है और न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है।

पत्रावली पर श्री कपिल प्रताप सिंह, एडवोकेट का अभिभाषक पत्र संलग्न है।

प्रतिवेदन श्रीमान जी की सेवा में आदेशार्थ सादर समर्पित है।

सादर समर्पित

सहायक लेखाकार

आदेश

20.07.2026

एम.ए.सी. सं0 – 454/2015 श्रीमती मीना आदि बनाम जमाल अहमद आदि में याची की ओर से प्रार्थना पत्र एफ.डी.आर. सं0 548364 के भुगतान हेंतु प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। कार्यालय आख्यां के अनुसार अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु0 –6,22,000/- रू0 (छः लाख, बाईस हजार रूपये) अधिकरण के बचत खाते में जमा कर दी गयी थी, उक्त धनराशि में से निर्मित एफ.डी.आर.सं0 548364 दिनांकित 25.07.2022 मु0 – 50,000/-रूपये यूनियन बैंक में चन्द्रवती के पक्ष में तीन वर्ष के लिए निर्मित की गयी थी, जो दिनांक 25.07.2025 को परिपक्क हो चुकी है। उक्त एफ.डी.आर. की धनराशि का भुगतान याची को नकद भुगतान जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से प्रदान किया जाये।

याची द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील योजित नही की गई है और न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है।

पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय व किसी भी अपीलीय न्यायालय का स्टे से सम्बन्धित कोई आदेश की प्रति नही है।

बैंक ब्याज याची को नकद के साथ दिया जाये।

तदानुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांक 20.07.2026

(पीठासीन अधिकारी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मुरादाबाद।